

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जिला सहारनपुर।

आदेश

13.03.2024

आज यह जुर्म संस्वीकृति प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किया गया है। अभियुक्त को अर्थदण्ड से आरोपित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा कर दिया गया है। उक्त वाद में कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही विनिष्ट किया जाये।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
सहारनपुर।